रजिस्ट्री सं० डीण्एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 586] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार अक्तूबर 16, 1997/आश्विन 24, 1919

No. 586] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 1997/ASVINA 24, 1919

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय

(उपभोक्ता कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1997

का.आ. 729(अ).—केन्द्रीय सरकार बाट और माप मानक (सामान्य) नियम, 1987 के नियम 18, 19 और 20 के साथ पठित बाट और माप मानक अधिनियम 1976 (1976 का 60) की धारा 22 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स दि लिबा कंपनी अग्रवाल, 25/75-ए, गली नं. 15, विश्वास नगर, दिल्ली,-110032 जिनका विनिर्माण एकक 42/38 स्थल-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, जिला-गाजियाबाद-201010 उ.प्र. में है, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित गैर-मानक बाट और माप का पूर्णतया निर्यात के प्रयोजनों के विनिर्माण करने के लिए अनुमति देती है, अर्थात् :—

(i) पीतल के बाट	1 औंस, 1/2 औंस 1/4 औंस,
(ii) ढलवां लोहे के बाट	1 पाउन्ड, 8 औंस, 4 औंस,
(iii) तराजू (बनावट सं. 5)	

2. यह अनुज्ञा निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए है, अर्थात् :—

(1) ऊपर (i) से (iii) में यथा विनिर्दिष्ट निर्यात के लिए विनिर्मित किसी गैर-मानक बाट और माप का भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर विक्रय या अन्यथा वितरित नहीं किया जाएगा ।

(2) फर्म, कलैण्डर वर्ष की समाप्ति पर, केन्द्रीय सरकार को उसके द्वारा निर्यात किए गए गैर-मानक बाट और माप की मात्रा और उन व्यक्तियों की विशिष्टियों, जिन्हें ऐसा निर्यात किया गया है, के बारे में एक विवरण देगी;

(3) फर्म, उसके द्वारा विनिर्मित ऐसे गैर-मानक बाटों और मापों की संख्या, उसके द्वारा निर्यात किए गए गैर-मानक बाटों और मापों की संख्या और स्टॉक में या निर्माणाधीन गैर-मानक बाटों और मापों का मासिक अभिलेख रखेगा । इस प्रकार रखे गए अभिलेख केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे ।

[फा.सं. डब्ल्यू. एम-20 (3)/97]

राजीव श्रीवास्तव, अपर सचिव

MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 14th October, 1997

S.O. 729(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to section 22 of the Standards of Weights and Measures Act 1976 (60 of 1976) read with rules 18, 19 and 20 of the Standards of Weights and Measures (General) Rules, 1987, the Central Government hereby permits M/s. The Libra Company, 25/75 A, Street No. 15, Vishwas Nagar, Delhi--110032 having their manufacturing unit at 42/38, Site IV, Shahibabad Industrial Area, Distt. Ghaziabad-201010, U.P. to manufacture the following non-standards weights and measures exclusively for export purposes, for a period of one year from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely;

(i)	Brass Weights	1 oz, 1/2 oz, 1/4 oz
(ii)	Cast Iron Weights	1 lb, 8 oz, 4 oz
(iii)	Scales (Style No. 5)	

2. This permission is subject to following terms and conditions, namely :—

(1) No non-standard weights and or measures manufactured for export, as specified in (i) to (iii) above, shall be sold or otherwise distributed within the territory of India;

(2) The firm shall submit to the Central Government, at the end of the calender year, a statement as to the quantity of the non-standard weights and measures exported by it and the particulars of the persons to whom such export has been made;

(3) The firm shall maintain a monthly record or the number of such non-standard weights and measures manufactured by it, number of non-standard weights and measures exported by it, and number of non-standard weights and measures in stock or under production. The record so maintained shall be open to inspection by an officer authorised by the Central Government in this behalf.

[F. No. WM-20 (3)/97]

RAJIV SRIVASTAVA, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997.